(प्रथमबार राजस्थान राज-पत्र भाग 4(ग), उपखण्ड (II) दिनांक: 31.1.74 में प्रकाशित हुआ)

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 31, 1974

एस.ओ.167:-राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार निम्नांकित अधिकारों की शक्तियाँ उनके सामने अंकित पदाधिकारियों को प्रत्यायोजन करती है :-

| क्र.सं. 1- | अधिकार का विवरण 2- | पदाधिकारी 3- |
|---|---|---|
| 1- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 3 के अन्तर्गत इकाइयों के गठन करने के अधिकार. | वन संरक्षक पत्ता तेन्दू योजना. |
| 2- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत अभिकर्ता की नियुक्ति के अधिकार. | वन संरक्षक (प्रादेशिक वृत्त) |
| [redacted] | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की [redacted]रा 5 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों के क्रय एवं परिवहन पर निबन्धन के अधिकार. | मंडल वन अधिकारी |
| 4- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 8 के अन्तर्गत डिपो खोलना एवं डिपो पर मूल्य सूचिकाएं आदि का प्रकाशन के अधिकार. | ------"------ |
| 5- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 10 के अन्तर्गत तेन्दू पत्ते उपजानेवालों के पंजीकरण के अधिकार. | ------"------ |
| 6- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 11 के अन्तर्गत बीड़ी बनाने वाले एवं तेन्दू पत्तों को निर्यात करने वालों के पंजीकरण के अधिकार. | ------"------ |
| 7- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री करने के [redacted] लाईसेन्स देने के अधिकार. | ------"------ |
| 8- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 12 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों की बिक्री एवं व्ययन के अधिकार. | कमेटी जिसके, निम्न अधिकारी सदस्य होंगे<br>1-वन संरक्षक, (पत्ता तेन्दू)<br>2-वन संरक्षक, (प्रादेशिक वृत्त)<br>3-सम्बन्धित मंडल वन अधिकारी. |
| 9- | राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 19 के अन्तर्गत अपराधों का शमन. | मंडल वन अधिकारी. |

(संख्या प.2.(6)(16)रा.8/73)

राज्यपाल के आदेश से,

डी.सी.जोशी

राजस्व सचिव.